भाषाई अस्मिता का सवाल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

डॉ. रमा

भारत की भाषाओं, बोलियों और शिक्षा नीति पर कभी गंभीरता से काम नहीं किया गया जबकि यह किसी भी देश की बुनियाद होती हैं। शिक्षा व्यवस्था समाज की सबसे मजबूत दीवार होती है जिस पर देश की सफलता की छत तैयार होती है। भारत की बहुआयामी संस्कृति और भाषाओं ने दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया। लोगों ने इसका अनुसरण किया लेकिन अपने ही देश में यह उपेक्षा का शिकार हुई। आज पूरी दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या तीसरे नंबर पर है लेकिन अपने ही देश में वह संघर्ष कर रही है। हिंदी आज आर्थिक दृष्टि से मजबूत भाषा बन चुकी है। पत्रकारिता, सिनेमा और ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति हो चुकी है। नई शिक्षा नीति ने भारतीय भाषाओं और बोलियों को फिर से जीवित कर दिया है। सूखे हुए स्नायुओं में ताजे रक्त का संचार हुआ है। भारत में लगभग 1700 मातृभाषाएँ अस्तित्व में हैं लेकिन अपनी अपनी साँसें गिन रही हैं। संविधान में केवल 22 भाषाओं को ही राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 344 में केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली थी, लेकिन 21वें संविधान संसोधन में सिन्धी को तथा 71वें संशोधन में नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाद में 92वें संसोधन में अधिनियम, 2003 के तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा की मान्यता दी गई। इस तरह संविधान में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इस तरह से देखें तो जिन भाषाओं को संविधान में भाषा का दर्जा प्राप्त है उन्हें तो पढ़ा-लिखा जाता है लेकिन संविधान से बाहर खड़ी भाषाओं की कोई मंजिल तय नहीं है। मंजिल क्या रास्ता भी नहीं पता है। संविधान में शामिल भारतीय भाषाओं के साहित्य, सिनेमा, कला आदि को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिलता है लेकिन जो भाषाएँ इससे बाहर हैं और बड़ी संख्या द्वारा बोली जाती हैं उनका भविष्य कौन तय करेगा? भारत की उन भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए किस तरह की योजना सरकार के पास है? इस तरह के कई सवालों का जवाब नई शिक्षा नीति द्वारा मिल गया है।

भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और प्रकिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की ज्ञान परंपरा को बहुत चालाकी से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। विश्वगुरु संबोधित किया जाने वाला भारत अचानक से अपनी भाषा के प्रति उदासीन कैसे हो गया? मैकॉले की घातक शिक्षा नीति ने भारत के अंदर के काले अंग्रेजों को मौका दे दिया। अंग्रेजी मानसिकता की गुलामी करने के लिए विवश कुछ लोगों ने अंग्रेजी को भारत की महत्त्वपूर्ण भाषा बना दिया। बल्कि लालच की भाषा बना दिया। युवा पीढ़ी के अंदर अपनी ही भाषा के प्रति हीनता का ऐसा भाव भर दिया कि विश्व की तीसरी सबसे मजबूत भाषा होने के बावजूद हिंदी उपेक्षित है। अंग्रेजी का जो माहौल बनाया गया उसके लिए कोई शिकायत नहीं है लेकिन भारतीय लोगों में अपनी भाषा के प्रति जो नकारात्मक छवि का बीज बो दिया गया वह घातक सिद्ध हुआ। विश्व की सभी महाशक्तियाँ भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने की चाल चलने में सफल हुईं। उन्होंने बड़ी योजना से पहले भारतीय समाज को उनकी भाषा से दूर करने का प्रयास किया फिर अपनी भाषा का लालच देकर अपनी ओर आकर्षित किया। नई शिक्षा नीति ने इन सभी कुचक्रों को तोड़ दिया है। रणनीति ऐसी बनी है कि अब किसी विदेशी भाषा की हिम्मत नहीं होगी कि वह कभी भारत को भाषाई रूप से कमजोर करने का साहस भी कर पाए।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10 + 2 के पारंपरिक पाठ्यक्रम व्यवस्था में बदलाव करते हुए 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठ्यक्रम लागू करने की बात की गई है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। पहले बीए दूसरा वर्ष कर लेने के बाद अगर कोई विद्यार्थी किसी अभाव में तीसरा वर्ष नहीं कर पाया तो उसकी दो वर्ष की मेहनत मिट्टी में मिल जाती थी पर अब ऐसा नहीं होगा। वह कभी भी वापस आकर अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। साथ ही उसने जहाँ तक की डिग्री ली है वहाँ तक की डिग्री मान्य होगी। सरकार ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण, और विस्तार के लिए रणनीति तैयार करते हुए भारतीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शामिल करने की सिफारिश की है। साथ ही

भारतीय और प्राकृत भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना हेतु भी प्रस्ताव रखा है।

सबसे सुखद बात यह है कि भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल का अध्ययन भी शामिल है। अभी तक बड़ी चालाकी से विदेशी भाषाओं की तरफदारी करने वाली विचारधारा यह भ्रम फैला रही थी कि हिंदी या भारतीय भाषा में विज्ञान की पढ़ाई संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति में इस भ्रम को तोड़ दिया गया। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत संस्कृत के साथ तीन अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प विद्यार्थियों को दिया जाएगा। दो विदेशी भाषा चुनने का भी विकल्प रहेगा। नई शिक्षा नीति भारतीय अस्मिता और संस्कृति के लिए संजीवनी साबित होगी। देव वाणी कही जाने वाली संस्कृत आज उपेक्षा की शिकार है जबकि प्रख्यात मनीषी मैक्समूलर का कहना था—'जबतक भारत में संस्कृत और उससे उद्भूत भाषाएँ परस्पर संवाद और चिंतन के लिए जीवित रहती हैं तब तक उसकी सांस्कृतिक अस्मिता बची रहेगी'। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में देने का उद्देश्य बच्चों को अपनी मातृभाषा से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। भाषा और शिक्षा के विद्वानों का ऐसा मानना है कि अपनी मातृभाषा में बच्चा किसी भी चीज को जल्दी सीखेगा। महात्मा गांधी हिंदी भाषा को देश की अस्मिता के लिए महत्त्वपूर्ण मानते थे। हिंदी के संदर्भ में उनके वाक्य निर्णायक हैं। उनका कहना था—'हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।...अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता है। हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।...राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।'' गांधी के यह वाक्य हिंदी की आवश्यकता और मजबूती दोनों के लिए आवश्यक बिंदु हैं। इतना ही नहीं अंग्रेजी के विषय में उनके विचार हैं—''अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के, सभी विषयों की दृष्टि दैहिक और भोगवादी है।''

किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक मजबूती को उसकी भाषा द्वारा ही समझा जा सकता है। रामविलास शर्मा जैसे विद्वान भाषाविज्ञानी का मानना था कि उत्तर भारत की जनता को एक सूत्र में हिंदी भाषा द्वारा ही बाँधा जा सकता है। इसमें हिंदी की चर्चा हम छोड़ भी दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषाएँ राज्य में रहने वाले विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को एक सूत्र में बाँध सकती हैं। भाषा का सवाल केवल लिखने पढ़ने और बोलने तक नहीं है बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से भी है। भाषाविद् रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'हिंदी भाषा का समाजशास्त्र' में लिखते हैं—''अगर भाषाएँ, सामाजिक अस्मिता के निर्माण के साधन और उसके बनने के सूचक के रूप में काम करती हैं, तो हमारी भाषा संबंधी सामाजिक अस्मिता भी स्तरीकृत होगी। इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषी एक स्तर पर अपनी बोलियों से जुड़ा है और दूसरे स्तर पर अपनी भाषा हिंदी से भी।''

इस तरह से देखें तो नई शिक्षा नीति में कई खूबियों के साथ यह खूबी गर्वित करने वाली है। अपनी भाषा में जीने का भाव है वह परायी भाषा में नहीं है। इस नीति से भारत की मृत हो चुकी भाषाओं को नया जीवन मिलेगा और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मार्ग थोड़ा और सरल हो जाएगा।

प्राचार्या, हंसराज कॉलेज, दिल्ली
9891172389